62

सं0 255 /XXIV(1)/2015–22/2012

प्रेषक,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांक 21 नवम्बर, 2015

विषयः उत्तराखण्ड एजुकेशन पोर्टल वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या अर्थ–2/12569/5 (क)(02) 02 2015–16 दिनांक 02 सितम्बर, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चावला वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में संलग्न क–01 में उल्लिखित विवरणानुसार उत्तराखण्ड एजुकेशन पोर्ट के संचालन हेतु 42–अन्य व्यय में 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने व निम्नलिखित शर्तो एवं प्रबिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01–04–2015 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्रावधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर नियमानुसार किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) अवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा 800–अन्य व्यय के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 262(P)/XXVII(3)/2015 दिनांक 9–11–15 में दिये गये देशा निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डी0 सेंथिल पाण्डियन)
सचिव

सं0 /XXIV(1)/2014–22/2012 /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूरखेड़ा देहरादून।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 255 /XXIV(1)/2014–22/2015 दिनांक 21-11-15 का संलग्नक

क्र0स0	मानक मद	वर्ष 2015–16 में प्राविधानित राशि।	व्यय किये जाने हेतु धनराशि	क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं का विवरण एवं क्रय का औचित्य
1	2	3	4	5
1	42–अन्य व्यय	200	150	1–इण्टर्नेट कनेक्शन प्लान (बी0एस0एन0एल0) के वार्षिक भुगतान वर्ष 2014–15 की भांति (रू0 50 हजार मात्र) 2– कम्प्यूटर..... कार्टेज –HP 5A, फोटो कॉपियर कार्टेज–22एल, फोटोस्टेट कागज –60 रिम, एंटी वायरस (Quick Heal) –10, पैड , पैन इत्यादि (01 लाख मात्र) क्रय किये जाने हेतु
	कुल धनराशि	200	150	

(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव